

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक-एफ-1(2) एफडी(रूल्स)06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक- 08.08.2019 एवं एफ1(2) एफडी (रूल्स)06 / पार्ट-1 दिनांक 25.10.2019 की अनुपालना निम्नलिखित परिवीक्षाधीन व्याख्याताओं (प्रोबेशनर-ट्रेनी) का उनके चिकित्सा प्रमाण पत्र / निजी कारणों के आधार पर उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम कार्मिक	पदस्थापन स्थान राउमावि / राबाउमावि	अवकाश अवधि	स्वीकृत अवकाश के दिनों की संख्या
1	शंकर सिंह सारण व्या.वाणिज्य	राउमावि काकड़ा-बीकानेर	09.12.2019 से 14.12.2019	06 दिवस कुल 06 दिवस
2	राजेश कुमार व्या. इतिहास	राउमावि सांवतसर-बीकानेर	13.08.2018 से 30.08.2018	18 दिवस कुल 18 दिवस
3	नन्द किशोर मीणा व्या.इतिहास	राबाउमावि डग-झालावाड़	04.12.2018 से 13.12.2018	10 दिवस कुल 10 दिवस
4	पिंकी शर्मा व्या. इतिहास	राउमावि साम्रोदा-अजमेर	01.07.2017 से 01.07.2017 17.07.2017 से 17.07.2017 13.03.2019 से 13.03.2019 08.04.2019 से 17.04.2019 04.05.2019 से 04.05.2019	01 दिवस 01 दिवस 01 दिवस 10 दिवस 01 दिवस कुल 14 दिवस
5	प्रथा कलासुआ व्या. इतिहास	राउमावि देवपुरा-उदयपुर	20.06.2018 से 07.07.2018	18 दिवस कुल 18 दिवस

संबंधित संस्थाप्रधान द्वारा उक्त कार्मिकों की सेवा पुस्तिका में असाधारण अवकाश का इन्द्राज किया जावे। स्वीकृत असाधारण अवकाश का यदि वेतन आहरित किया गया है तो उसका नियमानुसार समायोजन करें।

(सौरभ स्वामी)

IAS

निदेशक,

माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 12/11/2020

क्रमांक:- शिविरा/माध्य/संस्था/सी-2/इति-वाणि/स्थायी/अ.अवकाश/18-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 संबंधित संयुक्त निदेशक,स्कूल शिक्षा
- 2 संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय(माध्यमिक)
- 3 संबंधित मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी
- ✓ सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाज को विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु
- 5 संबंधित शाला/संस्था प्रधान/संबंधित कार्मिक
- 6 रक्षित पत्रावली।

(Handwritten Signature)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर